रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2002/फाल्गुन 20, 1923

No. 35] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2002/PHALGUNA 20, 1923

IndiaCode

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2002

सं. एन. 10/13/2001—पी.पी.सी.—निगम प्रसार (भारतीय प्रसार निगम), अधिनियम 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (दर्शक अनुसंधान पद) सेवा विनियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये विनियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. प्रारंभिक गठन.—इन विनियमों के प्रारंभ पर नियुक्त ऐसे व्यक्ति जो निदेशक (दर्शक अनुसंधान), संयुक्त निदेशक (दर्शक अनुसंधान) और उप निदेशक (दर्शक अनुसंधान) दर्शक अनुसंधान अधिकारी, सहायक अनुसंधान अधिकारी श्रेणी-I, सहायक अनुसंधान अधिकारी श्रेणी-II, अन्वेषक श्रेणी-I और अन्वेषक श्रेणी-II के पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, उस रूप में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे। इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व उनके द्वारा की गई सेवा, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति की पात्रता का विनिश्चय करने के लिए गणना में ली जाएगी।

4. पद संख्या और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, और उनके वेतनमान वे होंगे जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) से स्तम्भ (11) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

Scanned by CamScanner

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन विनियमों के किसी उपबंध को उक्त पदों के आयु-सीमा, शैक्षिक और अन्य अर्हताओं की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृति.—इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5
1. निदेशक (दर्शक अनुसंधान)	*02 (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	14,300-400-18,300 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी है या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति
6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

वह श्रेणी जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति है तो उसकी संरचना
10	11
प्रोन्नति :— आकाशवाणी या दूरदर्शन में ऐसे संयुक्त निदेशक (दर्शक अनुसंधान) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसे अधिकारी जिन्होंने आकाशवाणी या दूरदर्शन में संयुक्त निदेशक (दर्शक अनुसंधान) और आकाशवाणी या दूरदर्शन में उप निदेशक (दर्शक अनुसंधान) के रूप में कुल मिलाकर 10 वर्ष सेवा की है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. सदस्य (कार्मिक) —अध्यक्ष 2. महानिदेशक (आकाशवाणी) —सदस्य 3. महानिदेशक (दूरदर्शन) —सदस्य

IndiaCode

Scanned by CamScanner

10
प्रतिनियुक्ति :— भारतीय आर्थिक सेवा या भारतीय सांख्यिकीय सेवा के श्रेणी-I के अधिकारी, जिनके न हो सकने पर भारतीय आर्थिक सेवा या भारतीय सांख्यिकीय सेवा के श्रेणी-II के अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 10 वर्ष नियमित सेवा की है। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे) प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1	2	3	4	5
2. संयुक्त निदेशक (दर्शक अनुसंधान)	*02 (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	12,000-375-16,500 रु.	चयन	लागू नहीं होता

6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

10	11
प्रोन्नति :— आकाशवाणी या दूरदर्शन में ऐसे उप निदेशक (दर्शक अनुसंधान) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या ऐसे अधिकारी जिन्होंने आकाशवाणी या दूरदर्शन में उप निदेशक (दर्शक अनुसंधान) और दर्शक अनुसंधान अधिकारी के रूप में कुल मिलाकर 10 वर्ष सेवा की है।	1. सदस्य (कार्मिक) —अध्यक्ष 2. महानिदेशक (आकाशवाणी) —सदस्य 3. महानिदेशक (दूरदर्शन) —सदस्य

1	2	3	4	5
1. उप निदेशक (दर्शक अनुसंधान)	*06 (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	10,000-325-15,200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

IndiaCode

Scanned by CamScanner

6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

10	11
प्रोन्नति :— अकाशवाणी या दूरदर्शन में ऐसे दर्शक अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सबंध में विचार करने के लिए) 1. सदस्य (कार्मिक) —अध्यक्ष 2. महानिदेशक (आकाशवाणी) —सदस्य 3. महानिदेशक (दूरदर्शन) —सदस्य

1	2	3	4	5
4. दर्शक अनुसंधान अधिकारी	*54 (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	8,000-275-13,500 रु.	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

6	7	8	9
अवाश्यक :—1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान अथवा मानव विज्ञान में मास्टर डिग्री, और **2. सामाजिक आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण में तीन वर्ष का अनुभव जिसमें लोक मतदान राय या सामाजिक सेवा अनुसंधान अथवा जन संसूचना अनुसंधान सम्मिलित है।** **टिप्पण 1.—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में भर्ती बोर्ड के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।**	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) एक तिहाई प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रति-नियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ii) दो तिहाई सीधी भर्ती द्वारा।

IndiaCode

Scanned by CamScanner

6
टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) भर्ती बोर्ड के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर भर्ती बोर्ड की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

10	11
प्रोन्नति :— अकाशवाणी या दूरदर्शन में ऐसे सहायक अनुसंधान अधिकारी श्रेणी I जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है या ऐसे सहायक अनुसंधान अधिकारी श्रेणी II जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या ऐसे ज्येष्ठ अन्वेषक/अनुसंधान सहायक जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या लोक क्षेत्र उपक्रमों या स्वशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 6500-10,500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 6500-175-9000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (6) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकथित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे) प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. सदस्य (कार्मिक) —अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (दर्शक अनुसंधान आकाशवाणी का भारसाधक) —सदस्य 3. उप महानिदेशक (दर्शक अनुसंधान दूरदर्शन का भारसाधक) —सदस्य 4. निदेशक, दर्शक अनुसंधान, आकाशवाणी —सदस्य (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. उप महानिदेशक (दर्शक अनुसंधान भारसाधक) आकाशवाणी —अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (प्रशासन और प्रशिक्षण), दूरदर्शन —सदस्य 3. निदेशक, दर्शक अनुसंधान, आकाशवाणी —सदस्य

1	2	3	4	5
5. सहायक अनुसंधान अधिकारी श्रेणी-1	*13 (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	7500-250-12,000 रु.	ज्येष्ठता द्वारा चयन	लागू नहीं होता

Scanned by CamScanner

6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

10	11
प्रोन्नति :— सहायक अनुसंधान अधिकारी श्रेणी—II में जिसने 6500-200-10500 रु. के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसा अधिकारी जिसने ज्येष्ठ अन्वेषक/सहायक अनुसंधान अधिकारी श्रेणी II के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) *1. उप महानिदेशक सदस्य (दर्शक अनुसंधान) आकाशवाणी — अध्यक्ष *2. उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी — सदस्य *3. निदेशक (दर्शक अनुसंधान), आकाशवाणी — सदस्य *सदस्य (कार्मिक) द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

1	2	3	4	5
6. सहायक अनुसंधान अधिकारी श्रेणी II	*25 (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	6500-200-10,500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

10	11
प्रोन्नति :— ऐसा अन्वेषक श्रेणी-II जिसने 5500-175-9000/- रु. के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और उसके पास किसी विद्या शाखा में कोई स्नातक डिग्री है या ऐसा अन्वेषक जिन्होंने कुल मिलाकर सात वर्ष नियमित सेवा की है (पुराने या नए वेतनमान में) और उसके पास किसी विद्याशाखा में कोई स्नातक डिग्री है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) *1. उप महानिदेशक (दर्शक अनुसंधान), आकाशवाणी — अध्यक्ष *2. उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी — सदस्य *3. निदेशक (दर्शक अनुसंधान), आकाशवाणी — सदस्य *सदस्य (कार्मिक) द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

1	2	3	4	5
7. अन्वेषक श्रेणी-I	*44 (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	5500-175-9000 रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	45 वर्ष से कम

IndiaCode

Scanned by CamScanner

6	7	8	9
आवश्यक (i) अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, समाज शास्त्र या किसी अन्य सामाजिक विज्ञान में डिग्री। (ii) किसी सरकारी या मान्यताप्राप्त संस्था अथवा संगठन में अन्वेषण या सांख्यिकीय जांच या अनुसंधान के क्षेत्र में कोई अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

10	11
प्रोन्नति :— ऐसा अन्वेषक श्रेणी—II जिन्होंने 5000-150-8000/-रु. के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर आकाशवाणी/दूरदर्शन (स्टेशन या केन्द्र) में अन्वेषक श्रेणी (पुराने या नए वेतनमान में) में कुल मिलाकर 5 वर्ष नियमित सेवा की है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) *1. उप महानिदेशक (दर्शक अनुसंधान) आकाशवाणी — अध्यक्ष *2. उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी — सदस्य *3. निदेशक (दर्शक अनुसंधान), आकाशवाणी — सदस्य *सदस्य (कार्मिक) द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

1	2	3	4	5
8. अन्वेषक श्रेणी-II	*51 (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	5000-150-8000 रु.	लागू नहीं होता	45 वर्ष से कम

6	7	8	9
आवश्यक:—(i) किसी सरकारी या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, समाज शास्त्र या किसी अन्य सामाजिक विज्ञान में डिग्री या समतुल्य अथवा उपर्युक्त विषय में से मुख्य विषय के साथ डिग्री। (ii) किसी सरकारी या मान्यताप्राप्त संस्था अथवा संगठन में अन्वेषण या सांख्यिकीय जांच या अनुसंधान के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** सांख्यिकी और कंप्यूटर उपयोजन का ज्ञान।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष और प्रोन्नति की दशा में कुछ नहीं।	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, परन्तु यह तब जब कि आकाशवाणी या दूरदर्शन के विद्यमान सांख्यिकीय कंप्यूटर में चयन-सह-ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति कर दिए जाते हैं।

10	11
विद्यमान सांख्यिकीय कंप्यूटरों की प्रोन्नति हो जाने तक।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. जोन के मैट्रो स्टेशन का प्रधान — अध्यक्ष 2. उप निदेशक(दर्शक अनुसंधान) — सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी — सदस्य 4. अधिमानत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समुचित प्रास्थिति का एक अधिकारी — सदस्य

अनिल बैजल, कार्यकारी सदस्य

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/163/01]

IndiaCode

Scanned by CamScanner

PRASAR BHARATI
BROADCASTING CORPORATION OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2002

No. N-10/13/2001-PPC.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 33 read with sub-section (2) of section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement .—(i) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Audience Research Posts) Service Regulations, 2002.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :—These regulations shall apply to the posts specified in column 1 of the relevant schedule annexed hereto.

3. Initial Constitution :—All persons appointed at the commencement of these rules holding the posts of Director (Audience Research), Joint Director (Audience Research), Deputy Director (Audience Research), Audience Research Officer, Assistant Research Officer Grade I, Assistant Research Officer Grade II, Investigator Grade-I and Investigator Grade-II on regular basis shall be deemed to have been appointed as such. The service rendered by them before the commencement of these rules shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion etc. to the next higher grade.

4. Number of posts and scales of pay :—The number of the said posts, and their scales of pay shall be as specified in columns 2 and 3 of the schedule aforesaid.

5. Method of Recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 4 to 11 of the said Schedule.

6. Disqualification.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax.—Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing , with the prior approval of the Central Government, relax provisions in these regulations with respect to age limit, educational and other qualifications for the said posts.

8. Savings.—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes and other categories of persons in accordance with the orders issued by Government, from time to time.

9. Interpretation :—If any question relating to interpretation of these regulations arises, it shall be decided by the Corporation in consultation with the Central Government

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Scale of pay	Whether selection or non selection	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5
1. Director (Audience Research)	2* (2001) *Subject to variation dependent on work load	Rs. 14300-400-18300	Selection	Not applicable

Scanned by CamScanner

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment	Grade from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11
By promotion by merit failing which by deputation	**Promotion** Joint Director (Audience Research) in Akashvani or Doordarshan with five years regular service in the grade failing which ten years combined service as Joint Derictor (Audience Research) in Akashvani or Doordarshan and Deputy Director (Audience Research) Akashvani or Doordarshan. **Deputation** Officers belonging to Grade I of the Indian Economic Service or Indian Statistical Service failing which officers of Grade II of the Indian Economic Service or Indian Statistical Service with at least ten years regula service in the grade. (The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including Period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years).	(For considering promotion) : 1. Member (Personnel) —Chairman 2. Director General, (Akashvani) —Member 3. Director General, (Doordarshan) —Member

1	2	3	4	5
2. Joint Director (Audience Research)	2* (2001) *Subject to variation dependent on workload	Rs. 12000-375-16500	Selection	Not applicable

6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11
By promotion.	Deputy Director (Audience Research) in Akashvani or Doordarshan with five years regular service in the grade or officers in theirs ten years' combined service as Deputy Director and (Audience Research) Officer in Akashvani or Doordarshan.	1. Member (Personnel) —Chairman 2. Director General, (Akashvani) —Member 3. Director General, (Doordarshan) —Member

808/57/2003-2

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5
3. Deputy Director (Audience Research)	6* (2001) *Subject to variation depen-dent on workload	Rs. 10000-325-15200	Selection	Not applicable

6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11
By promotion	**Promotion :** Audience Research Officer in Akashvani or Doordarshan with five years regular service in the grade.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion)** consisting of :— 1. Member (Personnel) —Chairman 2. Director General Akashvani —Member 3. Director General Doordarshan —Member

1	2	3	4	5
4. Audience Research Officer	54* (2001) *Subject to variation depen-dent on workload	Rs. 8000-275-13500/-	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable upto five years) *Note* : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

6	7	8
Essential : 1. Master's Degree in Statistics or Economics or Sociology or Psychology or	Not applicable	One year for direct recruits. Two years for promotees.

IndiaCode

Scanned by CamScanner

6		
Anthropology of a r ecognised University or equivalent and 2. Three years' experience of collection and analysis of Social statistics including public opinion polls or social service research or mass communication research. *Note 1* : Qualifications are relaxable at the discretion of Recruitment Board in case of candidates otherwise well qualified. *Note 2* :The qualification(s) regarding experienceis/are relaxable at the discretion of the Recruit-ment Board in the case ofcandidates belonging to Scheduled Castes andScheduled Tribe if, at any stage of selection, the Recruitment Board isof the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill upthe vacancies reserved for them.		

9	10	11
(i) One-third by promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment. (ii) Two-third by direct recruitment.	**Promotion :** Assistant Research Officer Grade I with two years' regular service or Assistant Research Officer Grade-II with five years' regular service or Senior Investigator/Research Assistant with seven years' regular service in their respective grades in Akashvani or Doordarshan. **Deputation :** Officers under the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous bodies :— (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years' regular service in the scale of Rs. 6500-200-10500 or equivalent; or (iii) at least five years' regular service in the scale of Rs. 5500-175-9000 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualification and experience laid down for direct recruits under (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputatonists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	**For Promotion** 1. Member (Personnel) —Chairman 2 Deputy Director General (Incharge of Audience Research Akashvani) —Member 3. Deputy Director General (Incharge of Audience Research Doordarshan)—Member 4. Director Audience Research, Akashvani —Member **For consideration of confirmation) :** 1. Deputy Director General (Incharge of Audience Research) Akashvani—Chairman 2. Deputy Director General (Administration and Training). Doordarshan—Member 3. Director Audience Research, Akashvani —Member

GSGI/2002-3

IndiaCode

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5
Assistant Research Officer Grade I	13* (2001) *Subject to variation dependent on work load	Rs. 7500-250 12000	Selection by seniority	Not applicable

6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11
100% by promotion	Assistant Research Officer Grade II with three years' regular service in the scale of 6500-200-10500 failing which five years' combined regular service as Senior Investigator/Research Assistant/Assistant Research Officer Grade II.	*1. Deputy Director General (Audience Research), Akashvani—Chairman *2. Deputy Director General (Administration), Akashvani—Member *3. Director (Audience Research), Akashvani —Member *To be nominated by Member (Personnel)

1	2	3	4	5
Assistant Research Officer Grade II	25* (2001) *Subject to variation dependent on work load	Rs. 6500-200 10500	Selection-cum-seniority	Not applicable

6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11
100% by promotion	Investigator Grade I with three years' regular service in the scale of Rs. 5500-175-9000 with a Bachelors degree in any discipline or Investigator with seven years' combined regular service (old and new scales of pay) with a Bachelors Degree in any discipline.	*1. Deputy Director General (Audience Research), Akashvani —Chairman *2. Deputy Director General (Administration), Akashvani—Member *3. Director (Audience Research), Akashvani —Member *To be nominated by Member (Personnel)

IndiaCode

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5
Investigator Grade I	44* (2001) *Subject to variation dependent on work load	Rs. 5500-175 9000	Selection-cum-seniority	Below 45 years

6	7	8
Essential (i) A degree in Economics, Statistics, Sociology or any other social science (ii) Some experience in field investigation or statistical enquires or research in Government or recognised institute or orgamisation **Desirable :** Knowledge of Statistics.	Not applicable	Two years for direct recruits.

9	10	11
75% by promotion and 25% by direct recruitment	**Promotion :** Investigator Grade-II with three years' regular service in the scale of Rs. 5000-150-8000 failing which five years combined regular service with Investigator grade (old and new scales of pay) working in Akashvani/ Doordarshan (Station or Kendra)	*1. Deputy Director General Akashvani—Chairman *2. Deputy Director General (Administration), Akashvani —Member *3. Director (Audience Research), Akashvani —Member *To be nominated by Member (Personnel)

1	2	3	4	5
Investigator Grade II	51* (2001) *Subject to variation dependent on work load	Rs. 5000-150-8000	Not applicable	Below 45 years

6	7	8
Essential (i) A degree in Economics, Statistics, Sociology or any other social sciences from Government or recognised University or equivalent or degree with any of the above subjects as main subject.	Not applicable	Two years in case of direct recruitment and nil in case of promotion.

Scanned by CamScanner

6	7	8
(ii) Two years experience in field investigation or statistical enquires or research in Government or recognised institute or organization **Desirable :** Knowledge of Statistics and computer application.		

9	10	11
100% by direct recruitment provided that the existing statistical computers of Akashvani and Doordarshan are phased out, by promotion on the basis of selection-cum-seniority.	Till the existing Statistical Computers are phased out, promotion from Statiscal Computers.	In case of promotion : 1. Head of the metro station of the zone—Chairman 2. Deputy Dorector Audience Research —Member 3. Senior Administrative —Member 4. An officer of appropriate status preferably belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe —Member

ANIL BAIJAL, Executive Member
[ADVT-III/IV/Exty./163/01]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

IndiaCode

Scanned by CamScanner